5 रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(407)

1

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2015 पुनरीक्षण निगरानी 2108-I-15

लाखन सिंह पुत्र श्री बुन्देल सिंह आयु 45 साल , जाति कटारिया निवासी ग्राम मोहम्मद नगर तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.

.......आवेदक

दिनाँक 7.7.15 को श्री विनोद श्रीवास्तव अभि० द्वारा प्रस्तुत। 7-7-15

Representation by Mr. Vinod Shrivastava Adv. SO 7-7-2015

बनाम

राजाराम पुत्र श्री दंगल सिंह लोधी निवासी ग्राम मोहम्मद नगर तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.

..........अनावेदक

न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय मण्डल 4 तहसील सिरोंज द्वारा प्रकरण क्रमांक 93अ-- 12/ 14–15 में पारित आदेश दिनांक 26.6.2015 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

महोदय,

आवेदक द्वारा निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत है :–

1. यहंकि, आवेदक के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 47 रकवा 2.289 हेक्टर एवं सर्वे क्रमांक 48 रकवा 0.668 हेक्टर ग्राम मोहम्मदनगर में स्थित है। आवेदक द्वारा सर्वे नं. 47 व 48 का सीमाकंन विधिवत दिनंका 13.06.2010 को कराया था जिसका प्रकरण क्रमांक 103/अ12/ 09–10 है तथा सीमाकंन पंचनामा प्रस्तुत किया तथा उसी सीमाकंन के आधार पर आवेदक खेती बाडी करता चला आ रहा है।

XXIX(a)-BR(H)-11

(407)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2108-एक/15 **जिला** - **विदिशा**

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	